

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>विश्वेश्वर नाडोला बनाम लो.सू.अ. ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर )</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 56 / 2020</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>08.06..20</p>	<p>दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.05.20 तक लोकडाउन घोषित होने से पत्रावली आज पेशी पर ली गई। संक्षिप्त में अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी विश्वेश्वर नाडोला, निवासी माली थलियों का बास, होटल सीटी पेलेस के पीछे, नई सड़क, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 24.01..20 में उसके द्वारा (1) माननीय मुख्यमंत्रीजी के पत्र दिनांक 06.12.2019 की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि कथित तीनों प्रकरणों पर जारी किये गये पत्र की प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम, जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर कलक्टर प्रथम, जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	